



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-06/08/2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त लाल जी को मारपीट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 88/2021, धारा- 323, 504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त लालजी पुत्र स्व0 जीउतलाल निवासी एस-11/38-39 चौकाघाट थाना जैतपुरा, जनपद वाराणसी को थाना जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 06/08/2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 323 भादवि में 250 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा- 504 भादवि में 250 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी